BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Second Amendment Act, 2013.

2. Amendment of section 6-C.—In section 6-C of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, (15 of 1979),—

(*a*) in sub-section (1), for the words "as may be prescribed", the words "and excluding such important tourist destinations as may be prescribed in such scheme" shall be substituted.;

(*b*) in sub-section (1), in clause (i), for the figures, words and signs "15th day of July, 2008 and ending on 14th day of July, 2013", the figures, words and signs "15th day of July, 2013 and ending on 14th day of July, 2018" shall be substituted.; and

(*c*) in sub-section (2), in the Explanation, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*b*) "rural area" means any area falling beyond three kilometers from the immediate outer limits of a municipality.".

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 04 फरवरी, 2014

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–42/2013–लेज.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29–01–2014 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 36) को वर्ष 2014 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
(चिराग भानू सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

2014 का अधिनियम संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2013

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 29 जनवरी, 2014 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 (1980 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

2. **धारा 4 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) में, "शिमला" शब्द के स्थान पर "हमीरपुर" शब्द रखा जाएगा।

3. **धारा 5 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 5 में, "दो करोड़" शब्द जहां–जहां ये आते हैं के स्थान पर "पांच करोड़" शब्द रखे जाएंगे।

4. **धारा 7 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में,––

(i) खण्ड (क) में, "सामान्य प्रशासन विभाग" शब्दों के स्थान पर "सैनिक कल्याण विभाग" शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) खण्ड (ग) में, "कृषि उत्पादन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

5. **धारा 15 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (iv-क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(iv-क) राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभागों, संस्थानों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों आदि को सुरक्षा कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराना; और ''।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 5 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH EX-SERIVCEMEN CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2013

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH JANUARY, 2014)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation Act, 1979 (Act No. 8 of 1980).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation (Amendment) Act, 2013.

2. **Amendment of section 4.**—In section 4 of the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation Act, 1979 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1),for the word "Simla", the word "Hamirpur" shall be substituted.

3. **Amendment of section 5.**—In section 5 of the principal Act, for the words "two crores" wherever these occur, the words "five crores" shall be substituted.

4. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) in clause (a), for the words "General Administration Department", the words "Sainik Welfare Department" shall be substituted.; and

(ii) in clause (c), for the words and sign "Agricultural Production Commissioner, Himachal Pradesh", the words and brackets "Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh" shall be substituted.

5. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (iv), the following new clause (iv-a) shall be inserted, namely:—

"(iv-a) to provide security staff to the State and Central Government Departments, Institutions and Public Sector Undertakings etc.; and".

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 31 जनवरी, 2014

संख्याः आयु0–बी–(2)–3/2011.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में विकिरण चिकित्सा विज्ञानी (रेडियोलॉजिस्ट), वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्:——

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, विकिरण चिकित्सा विज्ञानी (रेडियोलॉजिस्ट), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंग।

2. **निरसन औरैर व्यावृत्तियां.**——(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य–ए(3)–4/88 तारीख 29–03–1990 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग (वर्ग-I सेवा) विकिरण चिकित्सक (रेडियोलॉजिस्ट) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1990 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
(संजय गुप्ता)
प्रधान सचिव (आयुर्वेद)।